UPJL010010512026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–119/2026
जयसिंह प्रति राज्य उत्तर प्रदेश,

मुकदमा अपराध संख्या 99/2025
धारा 109, भारतीय न्याय संहिता 2023 व
धारा 3/25 आयुध अधिनियम
थाना रामपुरा, जिला जालौन।

11.03.2026

1. प्रार्थी/अभियुक्त जयसिंह पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम गहेसर, थाना दिवियापुर, जिला औरैया की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 99/2025 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रामपुरा, जिला जालौन के प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में कारागार में निरूद्ध है।

2. जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्को को सुना तथा संबंधित प्रपत्रों का परिशीलन किया।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 15.10.2025 को वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक रजत कुमार सिंह द्वारा थाना रामपुरा जिला जालौन में इस आशय की फर्द बरामदगी दी गयी कि दिनांक 14.10.2025 को वह अन्य पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में मामूर था, जहॉ थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 98/2025 धारा 303(2) बी0एन0एस0 के संदिग्ध अभियुक्तों के बारे में जरिये मुखबिर खास सूचना मिली, जिस पर विश्वास करके उसके द्वारा टीहर नहर पुलिया के पास वाहन चैकिंग व संदिग्ध व्यक्तियों की चैकिंग लगायी गयी, तभी ग्राम टीहर की तरफ से एक मोटरसाइकिल पर सवार दो व्यक्ति आते दिखायी दिये, जिनको टार्च की रोशनी में रोका गया तो दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर नहर की पुलिया से बांये तरफ भागने लगे, जिनका पीछा किया तो एक व्यक्ति ने तमंचा से जान से मारने की नीयत से पुलिस पार्टी के ऊपर फायर किया, तब उसके द्वारा आत्मरक्षार्थ अपनी ग्लाक पिस्टल से फायर किया जो बदमाश के दाहिने पैर के निचले हिस्से में लगा एवं दूसरे भागते हुए बदमाश को आत्मसमर्पण हेतु कहा गया तो उसने भी अपने तमंचा फेकते हुए हाथ ऊपर कर दिया, जिन्हें घेरकर पकड़ लिया तथा नाम पता पूछा गया तो घायल बदमाश ने अपना नाम प्रमोद कुमार उर्फ बुद्धा बताया, जिसके पास एक अद्द तमंचा 315 बोर जिसके नाल में एक खोखा फंसा एवं पास 315 बोर का एक अद्द खोखस कारतूस बरामद किया तथा दूसरा बदमाश ने अपना नाम जयसिंह बताया, जिसके पास एक अद्द तमंचा 315 बोर व 01 अद्द जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। अभियुक्तगण को कारण गिरफ्तारी बताते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया तथा फर्द मौके पर तैयार की गयी। उपरोक्त फर्द बरामदगी के आधार पर दिनांक 15.10.2025 को ही प्रार्थी/अभियुक्त सहित अन्य सहअभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या 99/2025 धारा 109, भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

Digitally signed by VIRJENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.03.31 19:33:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

4. प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में इस आशय का अभिकथन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया है। पुलिस थाना रामपुरा द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 13.10.2025 को शाम को उसके घर से पकड़ कर झूठी घटना दर्शाते हुए उसका चालान कर दिया। उसके पास से कोई तमंचा बरामद नहीं हुआ था। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उक्त आधारों पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी है।

5. राज्य की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किए जाने की याचना की गई।

6. मेरे द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी एवं थाने की आख्या का अवलोकन करा गया। प्रार्थी/अभियुक्त के ऊपर यह आरोप है कि उसके द्वारा पुलिस बल के ऊपर तमंचा से फायर करा गया था। केस डायरी में दर्ज फर्द गिरफ्तारी व बरामदगी का अवलोकन करा गया। प्रार्थी/अभियुक्त गोहन ऊमरी टीहर होते हुए रामपुरा की ओर जा रहा था और प्रार्थी/अभियुक्त एक अन्य सहअभियुक्त के साथ ग्राम टीहर की तरफ सें मोटरसाइकिल से आ रहा था कि पुलिस के द्वारा रोके जाने पर दोनों व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर नहर की पुलिया से बांये तरफ नहर की पटरी पर भागने लगे और जब पुलिस वालों ने पीछा किया तो एक व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर तमंचा से फायर करा गया, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि किसी पुलिसकर्मी को आग्नेयास्त्र की चोट आयी हो। पुलिस के द्वारा फायरिंग करने में प्रार्थी/अभियुक्त के साथी को पैर में पुलिस की गोली लगी थी और प्रार्थी/अभियुक्त के पास से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस, एक जिन्दा कारतूस व 6000/–रूपये बरामद हुए हैं। मेरे विचार से इस केस के समस्त तथ्य, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना साक्ष्य पर कोई टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त जयसिंह पुत्र छविनाथ निवासी ग्राम गहेसर, थाना दिवियापुर, जिला औरेया की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 99/2025 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता 2023 व धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना रामपुरा, जिला जालौन के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 119/2026, स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा मुव0 50,000/–रूपये (पचास हजार रूपये) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र एवं समान धनराशि की दो जमानते संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार प्रस्तुत करने पर उसे जमानत पर छोड़ा जाए।

दिनांक–11.03.2026

(विरजेन्द्र कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
जालौन स्थान उरई।
जे.ओ. कोड यू.पी.–6525